

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)

क्रमांक- आदेश/रिमाण्ड/ ५।

दिनांक- 31/7/26

---:: रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय-आदेश ::---

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12 सपटित धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्वेता भारद्वाज, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली आदेश पारित करती हूँ कि माह अगस्त-2026 में पडने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य के लिए कॉलम संख्या-2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:-

माह अगस्त 2026

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	ड्यूटी की दिनांक
01	02.	03.	04
1	सुश्री कनिष्का राठौड़ RJS	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	02-08-2026
2	सुश्री गुंजन फौजदार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	08-08-2026, 09-08-2026
3	श्री टेकचंद मीना RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 हिन्डौन सिटी	15-08-2026, 16-08-2026
4	श्रीमति नेहा खर RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिन्डौन सिटी	22-08-2026, 23-08-2026
5	श्रीमति छवि सिंघल RJS	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिन्डौन सिटी	26-08-2026
6	श्री लितेन्द्र जीत कांट्या RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	28-08-2026, 30-08-2026

निर्देश:-

- अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
- नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

करौली

दिनांक:- 31-08-2026

क्रमांक- 1008-1019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली
- श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली
- पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- संबंधित अधिकारी सर्व श्री
- सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम, करौली।
- आदेश पत्रावली / नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

करौली